श्रम संसाधन विभाग

क्र0सं0	योजना/विवरण	इस योजना का विवरण	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	लोक प्राधिकार के समक्ष आवेदन की प्रक्रिया/निवारण
1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियिम, 1948 का कार्यान्वियन से संबंधित परिवाद	इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कुल 88 नियोजकों में कार्य करने वाले श्रमिकों/कामगारों की सरकार द्वारा निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी/अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक
2	बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 से संबंधित परिवाद	इस योजना से संबंधित बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 से संबंधित	सभी श्रमिक एवं कामगार	अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक
3	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936–सह–बिहार वेतन भुगतान नियमावली, 1937 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत नियमावली 1937 के अंतर्गत काम कराकर वेतन नहीं देने से संबंधित है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक/कारखाना निरीक्षक (कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आच्छदित प्रतिष्ठानों के लिए)
4	समान पारिश्रामिक अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	कार्य स्थल पर महिला एवं पुरूष कामगारों को समान दर से मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी/अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक
5	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण अपंगता अथवा मृत्यु के फलस्वरूप नियोक्ता द्वारा कर्मकार प्रतिकार की राशि उपलब्ध कराये जाने संबंधित।	सभी श्रमिक एवं कामगार	प्रमंडल के उप श्रमायुक्त
6	बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 से संबंधित आवेदन की जांच	इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के निवासी उन सभी कामगारों/शिल्पकारों पर लागू होता है जो राज्य के अंदर असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तथा जिनकी आयु 18 से 65 वर्षो के बीच है से संबंधित।	सभी श्रमिक एवं कामगार	संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी
7	श्रामिक संध अधिनियम, 1926 कं अंतर्गत यूनियनों (संधों) का निबंधन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत श्रामिक संधों के निबंधन से संबंधित।	सभी श्रमिक एवं कामगार	निबंधक–सह–श्रमायुक्त
8	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन से संबंधित ।	सभी श्रमिक एवं कामगार	अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त
9	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत कारखाना, खादानों ऑयल फिल्ड, प्लांटेशन, एयर पोर्ट, रेलवे, कंपनी, दुकानों एवं अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले कामगारों के लिए उपदान का भुगतान से संबंधित।	सभी श्रमिक एवं कामगार	उप श्रमायुक्त
10	वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूजपेपर इम्पालाईज (कंडीसन	इस योजना के अंतर्गत समाचार पत्रों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य कामगारों की वेज बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप वेतनादि का लाभ दिया जाता है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक

	ऑफ सर्विस) एंड मिसलेनीयस प्रोभीजनस एक्ट 1955 से संबंधित परिवाद			
11	बाल श्रम अधीनियम, 1986 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत बाल एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन से संबंधित।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक
12	बाल श्रम पुनर्वास योजना– (इसके अंतर्गत बाल श्रम से विमुक्त कराये गये बच्चों को पुनर्वासित किया जाता है) से संबंधित परिवाद	इस योजना से संबंधित बाल श्रमिाकों के पुनर्वास हेतु संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाता है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रमायुक्त, बिहार
13	बन्धुआ मजदुर अधिनियम, 1976 से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम – 1976 के उलांधन से संबंधित परिवाद दायर किया जाता है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/अनुमंडल के प्रभारी श्रम अधीक्षक
14.	बन्धुआ मजदुर पुनर्वास योजना–इसके अंतर्गत बन्धुआ मजदुर से विमुक्त कराये गये मजदुर का पुनर्वास कराया जाता है से संबंधित	इस योजना के अंतर्गत विमुक्त बंधुआ श्रमिकों के लिए संचालित पुनर्वास योजना का लाभ दिया है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रमायुक्त, बिहार
15.	प्रवासी मजदुर दुर्घटना अनुदान योजना–इसके अंतर्गत प्रवासी मजदुर जो दुर्घटना के कारण अशक्त हो गये हो या मृत हो गये हो। उन्हें अनुदान की राशि उपलब्ध काराई जाती है से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान राशि दी जाती है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रमायुक्त, बिहार
16.	बीड़ी श्रमिक गृह निर्माण योजना–इस योजना के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों को गृह निर्माण हेतु अनुदान दी जाती है से संबंधित परिवाद (राज्यांश के रूप में @4000/–प्रति बीड़ी श्रमिक दी जाती है।	इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को गृह निर्माण हेतु अनुदान से दिया जाता है।	सभी श्रमिक एवं कामगार	श्रमायुक्त, बिहार
17.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित निबंधन हेतु आवेदन की जांच, निबंधन से संबंधित परिवाद	इस योजना के अंतर्गत 1. इस कानून में निर्माण मजदूरों की कार्य दशाओं, उनके स्वास्थय, सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान किया गया है। 2. बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं, जैसे सड़क निर्माण कार्य में संलग्न, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का हेल्पर एवं अन्य कार्य करने वाले मजदूर मिस्त्री। 3. इस योजना के अंतर्गत	सभी श्रमिक एवं कामगार	1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 2. शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम अधीक्षक

		1. मातृत्व लाभ–90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि। 2. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। 3. नकद पुरस्कार। 4. विवाह के लिए वित्तीय सहायता। 5. साईकिल क्रय योजना। 6. औजार क्रय योजना। 7. भवन मरम्ती अनुदान योजना। 8. लाभार्थी के चिकित्सा सहायता। से संबंधित अनुदान दिया जाता है।		
18.	शिशु प्रशिक्षण योजना (ATS) शिशु अधिनियम–1981 का कार्यान्वयन	इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राओं के नाम सुधार, ससमय परीक्षाफल प्रकाशित, एडमिट कार्ड मिलने इत्यादि से संबंधित है।	छात्र/छात्रायें	
19	ए0ई0एस0 योजना (MES) –षॉट टर्म प्रषिक्षण हेतु भी0टी0पी0 का निरीक्षण, निबंध एवं कार्यान्वयन	विभाग द्वारा यह योजना समाप्त किया जा चुका है।		
20	शिल्प प्रशिक्षण योजना CTS) औ0प्र0 संस्थानों में नामांकन, प्रशिक्षण, परीक्षा एवं प्रमाणीकरण।	इस इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राओं के नाम सुधार, ससमय परीक्षाफल प्रकाशित, एडमिट कार्ड मिलने इत्यादि से संबंधित है।	छात्र/छात्रायें	
		निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)		
21	नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959	इस योजना के अंतर्गत सरकारी सेवा में रिकित्यों से संबंधित।	छात्र/छात्रायें	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) बिहार, पटना।
22	नियोजन –सह– व्यावसयिक मार्गदर्शन कार्यक्रम	इस योजना के अंतर्गत छात्र–छात्राओं का नियोजन के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।	छात्र/छात्रायें	संबंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (नियोजन)
23	निःशक्तजनों के लिए नियोजन मार्गदर्शन कार्यक्रम	बिहार के निःशक्तजानों के व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित।	छात्र/छात्रायें	
24	मॉडल कैरियर सेन्टर (कौशल विकास मिशन)	इसके अतंर्गत अजीविका से संबधित व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के संबंध में।	छात्र/छात्रायें	
25	ऑन लाईन निबंधन एवं संप्रेषण	इसके अतंर्गत नियोजन कार्यालय में ऑन लाईन निबंधन से संबंधित।	छात्र/छात्रायें	
26	सीमा पर श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	इसक अंतर्गत देश की सीमा पर श्रामिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन से संबंधित।	श्रमिक	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (नियोजन पक्ष), बिहार, पटना।